न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आइ0ए0एस0)

वाद सं0 : 1232 सन 2025

अनवान :–

1. शेयद मोहम्मद पुत्र उमरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
2. युनस पुत्र उमरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. गुलजारा पुत्री उमरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरुपरा तहसील नोहर।
4. जमिला पुत्र उमरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरुपरा तहसील नोहर।
5. फारमा पुत्री उमरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरुपरा तहसील नोहर।
6. रहीशा पुत्री उमरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरुपरा तहसील नोहर।
7. शोकिन पुत्री जानब पुत्री उमरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरुपरा तहसील नोहर
8. नसीरा पुत्री जानब पुत्री उमरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरुपरा तहसील नोहर
9. शकुरा पुत्री जानब पुत्री उमरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरुपरा तहसील नोहर।
10. प्रवीणा पुत्री अब्दुल पुत्र जानब पुत्री उमरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरुपरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. अलफाज पुत्र अब्दुल जानब पुत्री उमरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरुपरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12. अल्ताफ पुत्र अब्दुल पुत्र जनबा पुत्री उमरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरुपरा तहसील नोहर
13. जवान खां पुत्र अब्दुल पुत्र जानब पुत्री उमरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरुपरा तहसील नोहर।
14. सलामु पुत्र मजीदा पुत्री उमरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरुपरा तहसील नोहर
15. इकबाल पुत्र मजीदा पुत्री उमरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरुपरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
16. सुमन पुत्री मजीदा पुत्री उमरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
17. शकुरा पुत्री मजीदा पुत्री उमरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर

प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 12/06/2026

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा मन्दरपुरा के साबिका खसरा न0 389 की 13.03 बीधा भूमि राजस्व रिकार्ड में उमरदीन पुत्र मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा के नाम गैर खातेदारी दर्ज है।

रोही मौजा मन्दरपुरा के साबिका खसरा न0 389 की 13.03 बीधा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 के पूर्वज उमरदीन पुत्र मेहरदीन के नाम दर्ज है उमरदीन पुत्र मेहरदीन का देहान्त हो चुका है उमरदीन पुत्र मेहरदीन के जायज व कानुनी वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 है जिनके वाद भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की खातेदारी की भूमि हैं।

रोही मोजा मन्दरपुरा के साबिका खसरा न0 389 के भु0प्रबन्ध विभाग के द्वारा पैमाईश के दौरान साबिका खसरा न0 389 की 13.00 बीधा भूमि को हाल खसरा न0 826 की 13.00 बीधा भूमि में एवं हैक्टयर में परिर्वतन करने के उपरान्त हाल खसरा न0 826 की 3.3890हैक मे परिर्वतन एवं पैमुद की गई है।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद भूमि वादीगण पूर्वज उमरदीन पुत्र मेहरदीन जाति मुसलमान रोही मौजा मन्दरपुरा के साबिका खसरा न0 389 की कुल 13.03 बीधा हाल खसरा न0 826 की 3.8890हैक भूमि सम्वत 2012 से पूर्व की कब्जे काश्त की भूमि है किन्तु राजस्व रिकार्ड मे गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी व प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीगण वाद भूमि को बतौर खातेदर अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वाद भूमि सम्वत 2012 से पूर्व की नोतोड करदा भूमि है जिसे वादीगण के पूर्वज उमरदीन ने निकाली थी तब से लेकर आज तक पूर्व में उमरदीन एव उसके वाद उमरदीन के विधिक वारिसान वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 17 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वाद भूमि वादीगण के पूर्वजों उमरदीन के द्वारा सम्वत 2012 से पूर्व की कब्जा काश्त की भूमि है जिसके वे खातेदार काश्तकार हो चुके है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पूर्वज उमरदीन को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीगण अपने कब्जा काश्त की भूमि जो राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा मन्दरपुरा के साबिका खसरा न0 389 हाल खसरा न0 826 की कुल 3.8890हैक भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 के पूर्वज उमरदीन पुत्र मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 की और से सुनील कटारिया अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल जबाब पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की रोही मौजा मन्दरपुरा के साबिका खसरा न0 389 की 13.00 बीधा खाता संख्या 646/632 के खसरा न0 826 की 3.8890हैक भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षैत्र के अन्तर्गत आती है एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज गैरखातेदार काश्तकार टिनेन्सी एक एवं उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधानों के निशुल्क खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है उपनिवेशन क्षेत्र में आने के कारण उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मन्दरपुरा के साबिका खसरा न0 389 की 13.03 बीधा भूमि राजस्व रिकार्ड में उमरदीन पुत्र मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा के नाम गैर खातेदारी दर्ज है।

रोही मौजा मन्दरपुरा के साबिका खसरा न0 389 की 13.03 बीधा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 के पूर्वज उमरदीन पुत्र मेहरदीन के नाम दर्ज है उमरदीन पुत्र मेहरदीन का देहान्त हो चुका है उमरदीन पुत्र मेहरदीन के जायज व कानुनी वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 है जिनके वाद भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की खातेदारी की भूमि हैं।

रोही मोजा मन्दरपुरा के साबिका खसरा न0 389 के भु0प्रबन्ध विभाग के द्वारा पैमाईश के दौरान साबिका खसरा न0 389 की 13.00 बीधा भूमि को हाल खसरा न0 826 की 13.00 बीधा भूमि में एवं हैक्टयर में परिर्वतन करने के उपरान्त हाल खसरा न0 826 की 3.3890हैक मे परिर्वतन एवं पैमुद की गई है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15.10.1955 को लागू होने के समय से वादी के पूर्वज उमरदीन पुत्र मेहरदीन के कब्जा काश्त में थी इसलिये वाद भूमि वादी के पूर्वज के नाम उसी समय निशुल्क खातेदारी दर्ज होनी चाहिये थी परन्तु आज तक वादग्रस्त भूमि खातेदारी दर्ज नही की गई है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता ह

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद भूमि वादीगण पूर्वज उमरदीन पुत्र मेहरदीन जाति मुसलमान रोही मौजा मन्दरपुरा के साबिका खसरा न0 389 की कुल 13.03 बीधा हाल खसरा न0 826 की 3.8890हैक भूमि सम्वत 2012 से पूर्व की कब्जे काश्त की भूमि है किन्तु राजस्व रिकार्ड मे गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी व प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीगण वाद भूमि को बतौर खातेदर अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वाद भूमि सम्वत 2012 से पूर्व की नोतोड करदा भूमि है जिसे वादीगण के पूर्वज उमरदीन ने निकाली थी तब से लेकर आज तक पूर्व में उमरदीन एव उसके वाद उमरदीन के विधिक वारिसान वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 17 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वाद भूमि वादीगण के पूर्वजों उमरदीन के द्वारा सम्वत 2012 से पूर्व की कब्जा काश्त की भूमि है जिसके वे खातेदार काश्तकार हो चुके है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पूर्वज उमरदीन को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीगण अपने कब्जा काश्त की भूमि जो राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमावे वादीा ने अपने वाद के समर्थन में न्यायायिक दृष्टान्त आरबीजे 2012 पेज 438 ,आरआरटी 2006 पेज 802 , आरबीजे 2008 पेज 42, आरबीजे 2014 पेज 1220 प्रस्तुत किये गय

पेरोकार राज तहसीलदार राजस्व नोहर ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा मन्दपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2012 के खसरा न0 389 की 13.00 बीधा भूमि वादी के पूर्वज के नाम से दर्ज है एवं उक्त भूमि वर्तमान खसरा न0 826 की 13.00 बीधा अर्थात 826 की 3.8890है मे पैमुद की गई है वर्तमान में रोही मौजा मन्दरपुरा उपनिवेशन क्षैत्र के अन्तर्गत आती है एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज गैरखातदार काश्तकार टिनेन्सी एक एवं उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधानों के निशुल्क खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है उपनिवेशन विभाग द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र/अधिसुचनाओं के अधीन खातेदारी अधिकार कीमतन पाने का अधिकारी है

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मन्दरपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2012 के खाता संख्या 74 के साबिका खसरा न0 389 की 13.00 बीधा कुल 13.00 बीधा भूमि वादी के पूर्वज अलादीन खरदीन पि मुसा के नाम अराजी काश्त के रूप में दर्ज है जो प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 ,,2017 से 2019 एवं भू0प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दीयों से पूर्णतया साबित है उक्त कथनों को पेरोकार राज के द्वारा भी अपनी रिपोर्ट मे स्वीकार किया गया है।

भू–प्रबन्धक विभाग के द्वारा पैमाईश के दोरान रोही मोजा मन्दरपुरा के साबिका खसरा न0 389 की 13.00 बीधा के हाल खसरा न0 826 की 13.00 बीधा बीधा में परिर्वतन पैमुद की गई थी जो मिलान क्षेत्रफल सर्वे खसरा से पूर्णत्या साबित है तथा बीधा को हैक्टयर में परिर्वतन करने के उपरान्त वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा मन्द्रपरा के खाता संख्या 646/632 के खसरा न0 826 की 3.3890हैक भूमि वादी के पूर्वज उमरदीन पुत्र मेहरदीन के नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज है जो प्रस्तुत जमाबन्दी से साबित है जिसके सम्बध में पेरोकार राज ने भी स्वीकार किया है।

वादी के पूर्वज अलादीन खरदीन व उमरदीन पुत्र मेहरदीन का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 है जिसके सम्बध में पेरोकार राज के द्वारा भी किसी प्रकार का ऐतराज पेश नही किया गया है तथा वादी के द्वारा प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र एव वारिस प्रमाण पत्र से साबित है तथा उमरदीन पुत्र मेहरदीन के वारिसान के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज भी प्रस्तुत नही हुआ है।

उमरदीन पुत्र मेहरदीन का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 है वारिसान के सम्बध में परोकार राज के द्वारा भी वारिसान के सम्बध में ऐतराज नही किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 17 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार कर निवेदन किया की उन्होने अपने हको का त्याग

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी व प्रतिवादी संख्या 2 अपने भाई/पुत्रो के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 के नाम बतौर खातेदार दर्ज की जाती है तो ऐंतराज नही है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के अनुसार रोही मौजा मन्दरुपरा के साबिका खसरा न0 389 की कुल 30.00 बीधा भूमि सम्वत 2012 से लगातार आदिनांक तक पहले वादी के पूर्वज उमरदीन पुत्र मेहरदीन के कब्जा काश्त में रही तथा अब वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत जमाबन्दीयों गिरदावारीयों सम्वत 2012 से 2015 , भूप्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी एवं आगामी जमाबन्दीयो 2054 से 2057 ,2070 से 2073 से पूर्णत्याा साबित है एवं रिपोर्ट अनुसार भी वाद भूमि वर्तमान में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा परोकार राज ने भी वाद भूमि के कब्जा काश्त के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज नही किया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 से 19 में प्रावधान किया गया था कि जो काश्तकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय जिस भूमि पर काबिज था उसे उस भूमि का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार उमरदीन पुत्र मेहरदीन एवं उसके पूर्वजो के वाद भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व से ही कब्जा काश्त में थी अर्थात सम्वत 2012 से 2015 से पूर्व से ही वाद भूमि कब्जा काश्त में रही है जो प्रस्तुत जमाबन्दीयो /गिरदावरीयों एवं तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट से साबित है

तहसीलदार का दायित्व था कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो 15.10.1955 को लागू हुआ था के प्रावधानों के अनुसार उस समय जो भूमि जिस काश्तकार के कब्जा काश्त में थी को राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाता यदि नही किया गया है तो काश्तकार के खातेदारी अधिकार समाप्त नही होते है वह कभी भी अपने हको की घोषणा करवा पाने के अधिकारी है

वादी का कथन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था जिसमें प्रावधान था कि उक्त दिनांक के काश्तकारों को निशुल्क बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे स्वीकार योग्य नही है क्योकि वर्तमान में रोही मौजा मन्दरपुरा उपनिवेशन क्षैत्र धोषित हो चुका है इसलिये उपनिवेशन नियमों के तहत ही खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है उपनिवेशन क्षैत्र में आने वाली भूमि के खातेदारी अधिकार राज्य हकों को सुरक्षित रखने हेतु निम्न परिपत्रों के अनुसार ही दिये जाने उचित है।

पेरोकार राज का कथन है कि वादीगण के पिता/पूर्वज के कब्जा काश्त की भूमि बारानी क्षेत्र में थी जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादीगण उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया एवं सम्तव 2012 से पूर्व के कब्जा काश्त की भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षैत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादीगण उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादीगण इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखडा नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित एव सम्वत 2012 से पूर्व के कब्जा काशत में थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर

Lalu उपखण्ड अधिकारी नोहर

परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसुचना एफ 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01.2010 के परन्तु के अनुसार कोई व्यक्ति जिसे राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन) नियम 1970 के उपबन्धों के अधीन भूमि आवटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवेशन ज्ञेत्र घोषित हो गया था और ऐसे आंवटियों को अस्थाई खेती पटटा धारक माना गया था भूमि कुल कीमत का संदाय करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने का हकदार होगा।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07. 03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादी के पूर्वजों उमरदीन पुत्र मेहरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दपुरा (जो अन्य पिछडा वर्ग जाति का सदस्य है) को रोही मौजा मन्दपुरा के साबिका खसरा न0 389 हाल खसरा न0 826 की कुल 3.3890हैक भूमि जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था कि धारा 15 से 19 के प्रावधानो के अनुसार जो काश्तकार 15.10.1955 अर्थात सम्वत 2012 से 2015 की जमाबन्दी /गिरदावारीयों में बतौर काश्तकार दर्ज था एव भूमि कब्जा काश्त में थी को राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाने का प्रावधान किया गया था वादी के पूर्वज उमरदीन पुत्र मेहरदीन के वाद भूमि सम्वत 2012 से पूर्व से ही वाद भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही थी जो प्रस्तुत दस्तावेजात/तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट से साबित है अर्थात वादी के पूर्वज वाद भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के समय कब्जा काश्त मे होने के कारण वादी के पूर्वज वाद भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी थे यदि किसी कारणवंश वाद भूमि बतौर खातेदार दर्ज नही करने से वादी के पूर्वजों के खातेदारी अधिकार समाप्त नही होते है बल्की वह कभी भी अपने हकों की घोषणा करवाकर वाद भूमि को बतौर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है किन्तु वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आने के कारण समय समय पर जारी परिपत्रों के परिपेक्ष्य में भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में न्यायायिक दृष्टान्त आरबीजे 2012 पेज 438 ,आरआरटी 2006 पेज 802 , आरबीजे 2008 पेज 42, आरबीजे 2014 पेज 1220 प्रस्तुत किये गये

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उक्त दृष्टान्तों में भी प्रतिपादित किया गया है कि जो काश्तकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था कि धारा 15 ,19 के प्रावधानों के अनुसार जो काश्तकार सम्वत 2012 से 2015 या उससे पूर्व की जमाबन्दीयो/गिरदावरीयो में बतौर काश्तकार दर्ज है और भूमि कब्जा काश्त में है को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

वादी के पूर्वज अलादीन खरदीन पुत्र मुसा एव उमरदीन पुत्र मेहरदीन के वाद भूमि सम्वत 2012 से पूर्व अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ था के समय बतौर काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज था एव भूमि कब्जा काश्त में थी जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन एव प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित हो चुका है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ था के समय वाद भूमि वादी के पूर्वज के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी एव कब्जा काश्त में होना भी साबित है अर्थात वादी वाद भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है किन्तु वाद भूमि जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है राज्यहको के मध्यनजर वादीगण राज्य सरकार के द्वारा ऐसी भूमियो के खातेदारी अधिकारी दिये जाने के लिये समय समय पर परिपत्र/अधिसूचनाऐं जारी की गई है के परिपेक्ष्य में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है

अतः वाद वादी साक्ष्य सबुतों के आधार पर एवं राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र/अधिसुचनाओं के परिपक्ष्य में साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरुपरा के खाता संख्या 646/632 के खसरा नम्बर 826 की 3.3890हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दरा गांधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है मृतक उमरदीन पुत्र मेहरदीन जाति मुसलमान का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12/06/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

Lalu

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– राहुल श्रीवास्तव (आई.ए.एस)

अनवान :–

1. शेयद मोहम्मद पुत्र उमरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
2. युनस पुत्र उमरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. गुलजारा पुत्री उमरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरुपरा तहसील नोहर।
4. जमिला पुत्र उमरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरुपरा तहसील नोहर।
5. फारमा पुत्री उमरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरुपरा तहसील नोहर।
6. रहीशा पुत्री उमरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरुपरा तहसील नोहर।
7. शोकिन पुत्री जानब पुत्री उमरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरुपरा तहसील नोहर
8. नसीरा पुत्री जानब पुत्री उमरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरुपरा तहसील नोहर
9. शकुरा पुत्री जानब पुत्री उमरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरुपरा तहसील नोहर।
10. प्रवीणा पुत्री अब्दुल पुत्र जानब पुत्री उमरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरुपरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. अलफाज पुत्र अब्दुल जानब पुत्री उमरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरुपरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12. अल्ताफ पुत्र अब्दुल पुत्र जनबा पुत्री उमरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरुपरा तहसील नोहर
13. जवान खां पुत्र अब्दुल पुत्र जानब पुत्री उमरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरुपरा तहसील नोहर।
14. सलामु पुत्र मजीदा पुत्री उमरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरुपरा तहसील नोहर
15. इकबाल पुत्र मजीदा पुत्री उमरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरुपरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
16. सुमन पुत्री मजीदा पुत्री उमरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
17. शकुरा पुत्री मजीदा पुत्री उमरदीन जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1232 सन 2025 निर्णय दिनांक – 12/06/2026

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्रों/अधिसूचनाओं के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 646/632 के खसरा नम्बर 826 की 3.3890हैक भूमि जो वर्तमान में इन्द्ररा गांधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है मृतक उमरदीन पुत्र मेहरदीन का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

निर्णय आज दिनांक 12/06/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

Rahul.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)